

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr. II)**

No. 2(2)DOP/A-II/97 Pt.

Jaipur, Dated:- 30.07.2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and Other Service Conditions) Rules, 2001, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and Other Service Conditions) (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 01.01.2016

2. Amendment of Schedule.- In Schedule appended to the Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and Other Service Conditions) Rules, 2001, after the existing head EVALUATION ORGANIZATION SECTION and entries thereto, the following new head HIGHER EDUCATION (COLLEGIATE BRANCH) DEPARTMENT SECTION and entries thereto shall be added, namely:-

"HIGHER EDUCATION(COLLEGIATE BRANCH) DEPARTMENT SECTION

1.	Senior Laboratory Assistant Science/ Geography / Home Science	-	100 %	-	Laboratory Assistant Science/ Geography /Home Science, as the case may be.	5 year's experience on the post mentioned in column No. 6	-
2.	Laboratory Assistant Science/ Geography / Home Science	100 %	-	Senior Secondary with Science/ Geography/Home Science subject, as the case may be, from a recognized Board or its equivalent examination.	-	-	-

By Order and in the name of the Governor,

(*Sunil Sharma* 30/7/2018)
Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं. एफ. 2(2)डीओपी/ए-11/97 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 30.07.2018

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये 01.01.2016 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. अनुसूची का संशोधन .- राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001 से संलग्न अनुसूची में विद्यमान शीर्ष "मूल्यांकन संगठन अनुभाग" और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नया शीर्ष "उच्चतर शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) विभाग अनुभाग" और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात्:-

"उच्चतर शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) विभाग अनुभाग"

1.	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान/भूगोल /गृह विज्ञान	-	100%	-	प्रयोगशाला सहायक विज्ञान/ भूगोल या, यथास्थिति, गृह विज्ञान।	स्तंभ सं. 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव	-
----	--	---	------	---	--	---	---

2.	प्रयोगशाला सहायक विज्ञान/ भूगोल/गृह विज्ञान	100%	-	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से विज्ञान/ भूगोल/गृह विज्ञान विषय, यथास्थिति, के साथ सीनियर सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा।	-	-	-
----	--	------	---	--	---	---	---

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

५१
३०/११/२०१३
(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

५७/२०१०